

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 604/2019

- 1 विकास पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 प्रेमकुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 राधा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 पवनजीत पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 सुमन पत्नी पवनजीत जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 6 शकुन्तला पत्नी हंसराज जाति जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

वनाम

- 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 हंसराज पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं 251 ए आर.टी.ए.

उपरिथत विद्वान अधिवक्तागण :-

- 1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश कुमार सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)
- 2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1 व 2)
- 3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय

दिनांक :- 21/04/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 40 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 98/84 प.न. 55/168 मु.न. 46 कि. न. 16 ता 20, 25/2 में 1.391 है. नहरी मय खाला, प.न. 54/168 मु.न. 47 कि.न. 16 में 0.253 है. नहरी कुल 1.644 है. नहरी मय खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 40 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 103/90 प.न. 55/168 मु.न. 46 कि.न. 21 ता 25/1 में 1.139 है. नहरी, प.न. 54/168 मु.न. 47 कि.न. 24, 25 में 0.506 है. नहरी कुल 1.645 है. नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 2 हंसराज के नाम से खातेदारी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 42 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 59/56 प.न. 52/159 मु.न. 15 कि. न. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 4 में 0.215 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 5 में 0.177 है. नहरी, 0.076 है. गै.मु. रास्ता, कि. न. 6 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 7 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है.



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 17 ता 24 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कुल 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, आबादी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार के नाम 1.582 है. व प्रतिवादी संख्या 2 हंसराज के नाम 1.581 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। पक्षकारान हिन्दू है एव हिन्दू विधि से शासित है प्रतिवादी संख्या 1 के पास उक्त वादाधीन आराजी के अलावा 12-12 बीघा आराजी चक 42 पी टी पी में उनके नाम से दर्ज कागजात माल है जो कि वादाधीन आराजी सहदायिकी सम्पत्ति है एव वादीगण संख्या 1, 2 व 4 प्रतिवादीगण के पुत्र है एव प्रतिवादीगण के पुत्र होने के नाते वादाधीन आराजी में कानूनन हक व हिस्सा रखते है वादाधीन सहदायिकी सम्पत्ति में वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चुका है एव मुताबिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। मद संख्या 6 में कब्जा काश्त दर्शायी गयी। वगैरा-वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों में पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:-

- (क) यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 40 पी टी पी जमाबदी सम्पत्त 2069-2072 खाता संख्या 98/84 प.न. 55/168 मु.न. 46 कि.न. 16 ता 20, 25/2 में 1.391 है. नहरी मय खाला, प.न. 54/168 मु.न. 47 कि.न. 16 में 0.253 है. नहरी कुल 1.644 है. नहरी मय खाला आराजी में वादी संख्या 1 विकास व वादी संख्या 2 प्रेमकुमार को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
- (ख) यह कि चक 42 पी टी पी जमाबदी सम्पत्त 2070-2073 खाता संख्या 59/56 प.न. 52/159 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै. मु. रास्ता, कि.न. 4 में 0.215 है. गै.मु. आबादी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 5 में 0.177 है. नहरी, 0.076 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 6 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 7 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 17 ता 24 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कुल 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, आबादी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज 1.582 है. आराजी की वादी संख्या 3 राधा देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
- (ग) यह कि प्रतिवादी संख्या 2 हंसराज के नाम दर्ज चक 40 पी टी पी जमाबदी सम्पत्त 2069-2072 खाता संख्या 103/90 प.न. 55/168 मु.न. 46 कि.न. 21 ता 25/1 में 1.139 है. नहरी, प.न. 54/168 मु.न. 47 कि.न. 24, 25 में 0.506 है. नहरी कुल 1.645 है. नहरी आराजी में वादी संख्या 4 पवनजीत व वादी संख्या 5 सुमन को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव उक्त खाता से प्रतिवादी 2 का नाम कलमजन किया जावे।
- (घ) यह कि चक 42 पी टी पी जमाबदी सम्पत्त 2070-2073 खाता संख्या 59/56 प.न. 52/159 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै. मु. रास्ता, कि.न. 4 में 0.215 है. गै.मु. आबादी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 5 में 0.177 है. नहरी, 0.076 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 6 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 7 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 17 ता 24 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कुल 6.325 है. नहरी



स्वयंसेवा अधिकारी राजेश
सादलपुर

मय गै.मु. रास्ता, आबादी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 हंसराज के नाम दर्ज 1.581 है. आराजी की वादी संख्या 6 शकुन्तला देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 2 हंसराज का नाम कलमजन किया जावे।

- (इ) यह कि वादीगण संख्या 1 व 2 के हक हिरसा में आयी चक 40 पी टी पी खाता संख्या 98/84 प.न. 55/168 मु.न. 46 के कि.न. 19, 20 के उत्तर दिशा में प्रत्येक किला में 0.018 है. -0.018 है. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपरिथत होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ, राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हमने पत्राचली का अवलोकन किया वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हुआ है एव वादीगण एव प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है, इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं मैं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं।


अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :-

(क) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 40 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 98/84 प.न. 55/168 मु.न. 46 कि.न. 16 ता 20, 25/2 में 1.391 है. नहरी मय खाला, प.न. 54/168 मु.न. 47 कि.न. 16 में 0.253 है. नहरी कुल 1.644 है. नहरी मय खाला आराजी में वादी संख्या 1 विकास व वादी संख्या 2 प्रेमकुमार को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित जाता है एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

(ख) चक 42 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 59/56 प.न. 52/159 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 4 में 0.215 है. गै.मु. आबादी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 5 में 0.177 है. नहरी, 0.076 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 6 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 7 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 17 ता 24 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कुल 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, आबादी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज 1.582 है. आराजी की वादी संख्या 3 राधा देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 हंसराज के नाम दर्ज चक 40 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 103/90 प.न. 55/168 मु.न. 46 कि.न. 21 ता 25/1 में 1.




सादुलशहर
सादुलशहर

139 है. नहरी, प.न. 54/168 मु.न. 47 कि.न. 24, 25 में 0.506 है. नहरी कुल 1.645 है. नहरी आराजी में वादी संख्या 4 पवनजीत व वादी संख्या 5 सुमन को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से प्रतिवादी 2 का नाम कलमजन किया जाता है।

(घ) चक 42 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 59/56 प.न. 52/159 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 4 में 0.215 है. गै.मु. आबादी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 5 में 0.177 है. नहरी, 0.076 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 6 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 7 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 17 ता 24 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, कुल 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, आबादी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 हंसराज के नाम दर्ज 1.581 है. आराजी की वादी संख्या 6 शकुन्तला देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 2 हंसराज का नाम कलमजन किया जाता है।

(ङ) वादीगण संख्या 1 व 2 के हक हिस्सा में आयी चक 40 पी टी पी खाता संख्या 98/84 प.न. 55/168 मु.न. 46 के कि.न. 19, 20 के उत्तर दिशा में प्रत्येक किला में 0.018 है. -0.018 है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव उक्तानुसार ही रास्ता का गैर मुमकिन अंकन करे।

उक्तानुसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



यशपाल आदिजा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर